समाहरणालय, कटिहार

कँवल तनुज, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, कटिहार
☎ :- 06452-230581(O)
:- 06452-230583(R)
:- 91-9473191375
Fax No. :- 06452-230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

अनुश्रवण कोषांग

–:: आदेश ::–

नोवल कोरोना वायरस की आपदा के समय सरकार स्तर से इसकी रोकथाम एवं उपचार हेतु अथक कार्य किये जा रहे हैं तथापि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाये ही घरों से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं बल्कि अपने आस–पास के लोगों में भी संक्रमण फैला सकते हैं।

प्रधान सचिव, बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के आदेश ज्ञापांक 2/एम०–24/2020–473(2)/स्वा०, पटना दिनांक 23.04.2020 के आलोक में *Epidemic Disease Act-1897* एवं *Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations* 2020 में प्रदत्त शक्ति के तहत् यह आदेश दिया जाता है कि कोरोना वायरस के वर्त्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए अन्यथा इस आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे। सभी आमजनों, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदारों एवं वहाँ के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है।

विदित हो कि N-95 मास्क के अतिरिक्त सामान्य दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए/जीविका समूहों एवं अन्य समरूप समूहों द्वारा तैयार किए गए मास्क भी संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि N-95 मास्क COVID-19 की जाँच एवं चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है। शेष पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए three ply मास्क अथवा कपड़े के double layered मास्क काफी उपयोगी है। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार जिला अपने क्षेत्रान्तर्गत आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 24/4

जिला पदाधिकारी
कटिहार।

ज्ञापांक 1120 **/सी०, कटिहार दिनांक** 24 / 04 **/2020 ई०।**

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्ष/ओ०पी० अध्यक्ष को सूचित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ०पी० अध्यक्ष, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं एवं क्षेत्रान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित को ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने के साथ जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।